न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 185/2018 जीसीएमएस संख्या 2018/00317

1. रेणु जैन धर्मपत्नी गौरव जैन जाति महाजन निवासी–108 हरिमार्ग सिविल लाईन जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार महोदय तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान।
2. मदनलाल पुत्र गौरीशंकर
3. मुकुट बिहारी पुत्र गौरीशंकर
4. अशोक पुत्र बाबुलाल
5. प्रेमकुमार पुत्र बाबुलाल
6. राधेश्याम पुत्र गौरीशंकर
7. मनोहरदेवी पुत्री गौरीशंकर

   समस्त 2 लगायत 7 जाति ब्राहम्ण निवासी गाम साखून तहसील दूदू जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्टस

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त कलैक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला जयपुर निर्णय दिनॉक 23.04.2018 मि० न० 07/2017, विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 952 दिनॉक 28.12.2016

उपस्थित–

1. श्री प्रभूसिंह राजावतवकील अपीलान्ट
2. श्री दीनदयाल पारीक वकील रेस्पोडेण्ट नं 3 से 6 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–22.04.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति0 जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के निर्णय दिनांक 23.04.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि अपीलांटद्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के समक्ष आराजी खसरा नंबर 2630 रकबा 0.61 है0, खसरा नंबर 2631 रकबा 0.55 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.16 है0 वाके ग्राम साखून तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित विवादित कृषि भूमि का तहसीलदार दूदू द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 952 दिनांक 28.12.2016 को गलत बताते हुये निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अति0 जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा दिनांक 23.04.2018 को अपील खारिज किये जाने के आदेश दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. अति0 जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुरके उक्त निर्णय दिनांक 23.04.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट रेणु जैन धर्मपत्नी गौरव जैनद्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के निर्णय दिनांक 23.04.2018 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि कृषि भूमि ग्राम साखून तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित आराजी 2630 रकबा 0.61 है0, खसरा नंबर 2631 रकबा 0.55 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.16 है0 अपीलांट की खातेदारी भूमि है। जिसके पडौसी खातेदारों ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र 251(क) पेश किया जिसमें अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय आदेश दिनांक 08.07.2016 पारित कर दिया जिसकी जानकारी अपीलांट को तहसीलदार दूदू के द्वारा जारी नोटिस दिनांक 14.09.2016 के द्वारा क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने बाबत् हुई। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष पेश करने पर उक्त अपील विचाराधीन होते हुये भी तहसीलदार दूदू ने उपखण्ड अधिकारी दूदू के आदेश दिनांक 08.07.2016 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 952 दिनॉक 28.12.2016 स्वीकृत कर दिया गया। जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर चतुर्थ जिला जयपुर के यहॉ करने पर न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों पर गौर किये दिनांक 23.04.2018 को अपीलांट द्वारा प्रभावित पक्षकारों को अपील में पक्षकार नहीं बनाये जाने एवं स्थगन आदेश के नहीं होने का अंकन नहीं किये जाने के कारण अपील खारिज किये जाने के आदेश दिये गये जबकि अपीलांट द्वारा अपील स्वच्छ हाथों से पेश की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों पर गौर किये बिना एवं दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर, (चतुर्थ) जयपुर के निर्णय दिनांक 23.04.2018 को निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेण्ट्स के पास उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में विधि के अनुसार उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अपीलांट एवं रामधन को पक्षकार बनाया गया था। न्यायालय द्वारा अपीलांट को रजि0 एडी नोटिस जारी कर सूचित किया गया था परन्तु अपीलांट न्यायालय में उपस्थित नहीं होने की दशा में न्यायालय द्वारा मौके की जॉच पश्चात् विधि के सिद्धान्तों के अनुरूप कार्यवाही कर रास्ता कटान के आदेश जारी किये गये हैं। न्यायालय द्वारा तय की गई राशि को प्राप्त करने का नोटिस अपीलांट को जारी किया जा चुका है। अपीलांट ने स्वयं यह कथन किया है कि उक्त आदेश की जानकारी उसे नोटिस दिनांक 29.09.2016 से हुई है। फिर भी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील पेश की है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया था

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अपीलांट द्वारा गुपचुप तरीके से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रभावित पक्षकारों को हटाकर अपील प्रस्तुत कर स्थगन आदेश जारी करवा लिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों की जॉच व रिकॉर्ड अवलोकन पश्चात् ही अपीलांट द्वारा गलत नीयत से अपील पेश करने की दशा में अपील खारिज किये जाने के आदेश दिये गये है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से जाहिर होता है कि पक्षकारान् के मध्य विवाद नामान्तरण संख्या 952 दिनांक 28.02.2016.को लेकर है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि रेस्पोडेण्ट्स द्वारा विधिअनुसार उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अपीलांट को पक्षकार बनाया गया था। न्यायालय द्वारा अपीलांट को रजि0 एडी नोटिस जारी कर सूचित किया गया था परन्तु अपीलांट न्यायालय में उपस्थित नहीं होने की दशा में न्यायालय द्वारा विधि के सिद्धान्तों के अनुरूप कार्यवाही कर रास्ता कटान के आदेश जारी किये गये हैं एवं तहसीलदार दूदू द्वारा उपखण्ड अधिकारी दूदू के आदेश दिनांक 08.07.2016 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 952 दिनॉक 28.12.2016 स्वीकृत किया गया है। अपीलांट ने स्वयं यह कथन किया है कि उक्त आदेश की जानकारी उसे नोटिस दिनांक 29.09.2016 से हुई है। फिर भी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा इन सभी तथ्यों पर गौर करके ही अपील खारिज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। जो कि उचित एवं विधिसम्यक्है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेशमें किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। इसमें हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अत आदेश है कि:– अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर दिनांक 23.04.2018 यथावत रखा जाता है ।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।